

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में
सी.एम.पी. संख्या 429/2019

मुन्नी देवी

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य।
2. सचिव, गृह मामले, झारखंड सरकार, रांची।
3. उपायुक्त, सिमडेगा, झारखण्ड।
4. पुलिस अधीक्षक, सिमडेगा, झारखण्ड।
5. थाना प्रभारी, बानो थाना, सिमडेगा।

... उत्तरदाता

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री प्रवीण कु. राणा, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं की ओर से : श्री प्रभात कु. सिन्हा, अधिवक्ता

04/दिनांक 24 जनवरी, 2020

रिट याचिका डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 3839/2015, जिसे 19.12.2018 को खारिज कर दिया गया था, पुनर्बहाली के लिए तत्काल सिविल विविध याचिका दायर की गई है।

उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तत्काल सिविल विविध याचिका में की गई प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं की है।

यह न्यायालय, उपर्युक्त निवेदन पर विचार करने के बाद, रिट याचिका डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 3839/2015 को उसकी मूल फ़ाइल में पुनर्बहाल करना उचित और युक्तियुक्त समझता है।

इसे ध्यान में रखते हुए, यह तत्काल सिविल विविध याचिका में की गई प्रार्थना को स्वीकार किया जाता है और तदनुसार, इसका निपटान किया जाता है।

परिणामस्वरूप, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 3839/2015 को उसकी मूल फाइल में बहाल किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायाधीश)

सौरभ